न्यायालय : जिला न्यायाधीश, धौलपुर

इजराय संख्या–07 / 2001

कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक : 13.10.2025

डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित। मदयून की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री मुकेश सिकरवार उपस्थित। सार्वजनिक निर्माण विभाग राजाखेडा की ओर से अधिशापी अभियंता श्री सौरभ शर्मा उपस्थित।

अधिशापी अभियंता द्वारा इस न्यायालय में पूर्व में जमा राशि 7,49,987 रूपये की मूल डी.डी. जो वापस दी गयी थी, को आदेश दिनांक 09.10.2025 की पालना में आज अधिशाषी अभियंता श्री सौरभ शर्मा द्वारा तीन डी.डी. कृष्ण कुमार अग्रवाल राशि 2,49,996 /– कमांक 156547, मोहनलाल अग्रवाल राशि 2,49,996 /– कमांक 156548 व रमेशचंद अग्रवाल राशि 2,49,995 /– कमांक 156549 जमा करायी गयी, जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादीगण मोहनलाल अग्रवाल, रमेशचंद अग्रवाल एवं कृष्णकुमार अग्रवाल मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जमा राशि को प्राप्त किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र मय आईडी के प्रस्तुत किया। उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण में उक्त डी.डी. के संबंध में कोई भी कार्यवाही किसी भी उच्चतर न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। यह राशि पक्षकारों को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। डी.डी. की फोटोप्रति पत्रावली में शामिल की जावे एवं मूल पक्षकारों को लौटायी जावे, जिसके संबंध में आदेशिका पर पृथक से अंकन किया जावे व मूल डी.डी. प्राप्त कर ली गयी है, जिन्हें उनके अधिवक्ता द्वारा तस्दीक किया गया।

डिक्रीदार के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में निवेदन किया गया कि आदेश दिनांक 09.10.2025 की पालना में न्यायालय द्वारा राशि 23,34,491 रूपये जो वापस सार्वजनिक निर्माण विभाग को जमा कराने हैं, वह आज दिनांक तक जमा नहीं कराये गये, उसके संबध में सार्वजनिक निर्माण विभाग का खाता कुर्क किये जाने का निवेदन किया। खाता कुर्क किये जाने से पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाता का विवरण पेश करने के लिए समय चाहा, जिस पर उन्हें समय दिया गया।

पत्रावली वास्ते प्रस्तुत होने सर्वाजनिक निर्माण विभाग का खाता कुर्क किये जाने के संबंध में खाता विवरण **दिनांक 15.10.2025** को पेश हो।

13/10/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)